कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ अरण्य भवन, मेड़िकल कॉलेज रोड़, रायपुर
(मुख्य वन संरक्षक – भू-प्रबंध)

दूरभाषः 0771 – 2552233

ई – मेलः ccflm_cg@yahoo.com

क्र0/भू–प्रबंध/विविध/115–89/1363 रायपुर, दिनांक 23/07/2012

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, ''केन्द्रीय पर्यावरण भवन''
लिंक रोड़ न. 3, ई–5 रविशंकर नगर
भोपाल (म. प्र)

विषयः – **कोरबा, रायपुर एवं महासमुन्द जिले में पारादीप–संबलपुर –रायपुर–रांची पेट्रोलियम पाईप लाईन बिछाने हेतु 21.215 हे. आरक्षित एवं संरक्षित वन भूमि उप महाप्रबंधक इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड को उपयोग पर देने बाबद।**

– **पंजीयन क्रमांक/ RYP/ MSD/ MSd/ MIS/ 2010/ 074**

संदर्भः– 1. भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक 6-CHC 039/ 2011-BHO/ 364, दिनांक 29.02.2012
2. वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर का पत्र क्रमांक/ त.अ/ विविध/रा/ 4797 दिनांक 02.06.2012
3. छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ –5–10/2011 / 10–2 दिनांक 22.06.2012

※ ※ ※ ※ ※

विषयांतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के उपरोक्त संदर्भित पत्र – 1 द्वारा उप महाप्रबंधक इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड को कोरबा, रायपुर एवं महासमुन्द जिले में पारादीप–संबलपुर –रायपुर–रांची पेट्रोलियम पाईप लाईन हेतु 21.215 हे. आरक्षित एवं संरक्षित वन भूमि में भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त सैद्धांतिक स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर के संदर्भित पत्र – 2 के माध्यम से अपनी अनुशंसा सहित प्रेषित किया जो निम्नानुसार हैः–

क्र.	अधिरोपित शर्त	पालन प्रतिवेदन
1	वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तत रहेगा	वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा।
2 (अ)	वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर 44.00 हे. अवक्रमित वन भूमि (20 हे. सर्वे क्रमांक 311, वन परिक्षेत्र – बिलाईगढ़, जिला रायपुर, 4.00 हे. सर्वे क्र. 283 आर.एफ. वन परिक्षेत्र –बिलाईगढ़ एवं 20.00 हे. नारंगी वन क्षेत्र –भद्रापारा, वन परिक्षेत्र–करतला, जिला–कोरबा) पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जावेगा।	बिलाईगढ़ परिक्षेत्र के कक्ष क्र. 283 में सिंचित वृक्षारोपण हेतु 4 हे. x 3,97,821 = 15,91,284/– बिलाईगढ़ परिक्षेत्र के कक्ष क्र. आर.एफ 311 में सिंचित सागौन वृक्षारोपण हेतु 20 हे. x 3,90,247 = 78,04,940/– नारंगी वन क्षेत्र –भद्रापारा, वन परिक्षेत्र–करतला में असिंचित वृक्षारोपण हेतु 20 हे. x 96,413 = 19,28,260/– इस प्रकार 44.00 हे. क्षेत्र में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु कुल 1,13,24,484 रूपये दिनांक 22.05.2012 को कैम्पा मद में जमा किया गया है।
(ब)	नारंगी क्षेत्र को वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित व नामांतरित किया जावेगा।	नारंगी वन क्षेत्र 20.00 हे. को वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण एवं नामांतरित करने हेतु वन मंडलाधिकारी, कोरबा वनमंडल द्वारा पत्र क्रमांक/तअ/601 दिनांक

		17.04.2012 द्वारा वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त को प्रेषित की गई है जो वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त के पत्र क्रमांक/ तक/1068 दिनांक 17.05.2012 द्वारा मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) को प्रेषित की गयी है। अधिसूचना प्रस्ताव पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। रायपुर वनमंडल अंतर्गत बिलाईगढ़ परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक आर. एफ 283 एवं 311 का 24.00 हे. आरक्षित वन क्षेत्र है।
(स)	नारंगी वन भूमि को आरक्षित वन के रूप में घोषित किया जायेगा।	नारंगी वन क्षेत्र को आरक्षित वन के रूप में घोषित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
3	उपयोगकर्ता वर्तमान मजदूरी दर से क्षतिपूरक वृक्षारोपण की लागत राशि वन विभाग के पास पेशगी जमा करेगें ताकि वृक्षारोपण किया जा सके।	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की लागत राशि वन विभाग के कैम्पा खाता क्रमांक एस.बी 01025203 में दिनांक 22.05.2012 जमा करा दी गई है जिसकी जमा पावती संलग्न है।
4 (अ)	समादेश याचिका (सी) क्र. 202/1995 के अंतर्गत आई. ए क्रमांक 566 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008 व 09. 05.2008 के अनुसार तथा मंत्रालय के पत्र क्र. 5–1/1998 – एफ.सी. (पार्ट–2) दिनांक 18.09.2003 के साथ इससे संबंधित पत्रांक 5 – 2/2006 एफसी दिनांक 03.10.2006 द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य शासन, उपयोगकर्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव हेतु व्यपवर्तित की जाने वाली 0.024 हे. क्षेत्र की वन भूमि के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (Net Present Value) वसूली जायेगी।	प्रस्ताव हेतु व्यपवर्तित की जाने वाली 21.215 हे. क्षेत्र की वन भूमि के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य की समस्त लागत राशि 1,53,30,318/– कैम्पा खाता क्रमांक एस. बी 01025203 में दिनांक 22.05.2012 को जमा करा दी गई है जिसकी जमा पावती संलग्न है।
(ब)	विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन प्राप्त होने एवं उसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप देने के पश्चात यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त राशि देय होती है तो यह राशि राज्य शासन के द्वारा उपयोगकर्ता अभिकरण से वसूली जायेगी। उपयोगकर्ता अभिकरण इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करेगा।	आवेदक संस्थान को मान्य है। इस आशय का वचन पत्र संलग्न है।
5	परियोजना के अंतर्गत उपयोगकर्ता अभिकरण से प्राप्त समस्त निधि को केम्पा **(CAMPA)** के कार्पोरेशन बैंक–ब्लाक–11 सी.जी.ओ. काम्पलेक्स फेस–1 लोदी रोड़, नई दिल्ली– 110003 में स्थित खाता संख्या CA 1591 में हस्तांतरित की जायेगी।	परियोजना के अंतर्गत उपयोगकर्ता अभिकरण से प्राप्त समस्त राशि कैम्पा खाता क्रमांक एस.बी 01025203 में दिनांक 25.05.2012 को जमा करा दी गई है जिसकी जमा पावती संलग्न है।
6.	This approval will not give any claim for clearance under Forest Conservation Act for portions of the pipeline in other two States namely Orissa and jharkhand.	This proposal is only for State of Chhattisgarh.

7	वन भूमि के हस्तांतरण से पूर्व पर्यावरणीय अनुमति व अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिका मान्यता) अधिनियम 2006 सहित विभिन्न नियमों, विनियमों एवं दिशा निर्देशों के अंतर्गत अन्य समस्त शर्तो का पालन किया जाएगा।	प्रस्तावित पाईप लाईन परियोजना के लिए स्थापना की सहमति छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से ली गई है (छायाप्रति संलग्न है)। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न है।
8.	वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।	वनभूमि का उपयोग केवल प्रस्तावित कार्यो के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा। आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।

उपरोक्तानुसार संदर्भित पत्र द्वारा प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ति आवेदनकर्ता द्वारा पूर्ण करा ली गई है। अतः प्रकरण में अंतिम चरण की औपचारिक स्वीकृति जारी करने का अनुरोध है।

संलग्नः– उपरोक्तनुसार

(मुदित कुमार सिंह)
मुख्य वन संरक्षक (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र0/भू–प्रबंध/विविध/115–89/1364

रायपुर, दिनांक 23 /07/2012

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग मंत्रालय, डी. के. एस भवन, रायपुर को पत्र क्रमांक/ एफ–5–10/ 201/ 10–2 दिनांक 22.06.2012 के संदर्भ में।
2. वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर, छत्तीसगढ़।
3. वन मंडलाधिकारी, महासमुन्द वनमंडल, महासमुन्द, छत्तीसगढ़।
4. उप महाप्रबंधक, मेसर्स इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि., एन–17, अवंती बिहार, रायपुर।
वर्तमान में किसी भी क्षेत्र में कार्य प्रारंभ करने की अनुमति नहीं है।

मुख्य वन संरक्षक (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

LetterVividh Palan Prativadan 2011 (1)